<u>न्यायालय—अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,अंजड जिला बडवानी</u> <u>समक्ष-श्रीमती वंदना राज पांडेय</u>

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 565/2015 संस्थित दिनांक— 01.10.2015

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा— आरक्षी केन्द्र—अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.अभियोजन

वि रू द्व

- जावेद पिता सिराजुद्दीन खान, उम्र निवासी मण्डवाडा
- सिराजुद्दीन, पिता बाबू खान, उम्र निवासी मण्डवाडा
- राहनाज पति सिराजुद्दीन खान उम्र निवासी मण्डवाडा
- बाबू पिता छीतू खान,
 निवासी छोटी कसरावद जिला खरगोन

.....अभियुक्तगण

अभियोजन द्वारा	– श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.ओ. ।
अभियुक्तगण द्वारा	– श्री एम.जे.शेख अधिवक्ता ।

—: <u>निर्णय</u>:— (आज दिनांक 26/12/2016 को घोषित)

- 1. अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 187/2015 के आधार पर दि. 15.05.2015 से दि. 15.06.2015 के दौरान ग्राम मण्डवाड़ा अपने मकान में फरियादिया रोशन बी के पित एवं पित के नातेदार होते हुए संयुक्त रूप से अपना सामान्य आशय बनाकर फरियादिया रोशन बी से मोटरसाईकिल एवं 25,000/—रूपये दहेज की मांग की एवं नहीं देने पर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ कूरता कारित करने एवं फरियादिया रोशन बी से दहेज के रूप में मोटरसाईकिल एवं 25,000/—रूपये की अवैध रूप से मांग करने के संबंध में भा.द.वि. की धारा 498—ए/ 34 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
- 2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अभियुक्त रोशन बी का पित एवं अभियुक्त सिराजुद्दीन ससुर एवं अभियुक्ता शहनाज सास है। यह तथ्य स्वीकृत है कि फिरियादिया का विवाह आरोपी जावेद के साथ दिनांक 16.04.2015 को मुस्लिम रीति—रिवाज से होकर शादी के बाद वह आरोपी जावेद के साथ ग्राम मंडवाडा में निवास करती थी। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि पुलिस ने अभियुक्तगण को गिरफतार

किया था। प्रकरण में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 03.09.16 को फरियादिया ने अभियुक्तों से राजीनामा न्यायालय में प्रस्तुत किया, किंतु उक्त राजीनामा विधिसम्मत् नहीं होने से निरस्त किया गया है।

- 3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 22.08.2015 को फरियादिया रोशन बी पित जावेद ने थाने पर आकर अभियुक्तों के विरुद्ध यह लेखी रिपोर्ट पेश की थी कि उसकी शादी आरोपी जावेद पिता सिराज खान निवासी मण्डवाडा के साथ दिनांक 16.04.2015 को सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार हुई थी उसके बाद से ही आरोपीगण ने दहेज में मोटरसाईकिल, फिज, कुलर, सोफासेट, रंगीन टी.वी. एवं नगदी रूपये 25,000/— की मांग करने लगे एवं आये दिन मारपीट की शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे और कहते थे कि शादी के 4 माह हो गये है अभी तक उसे कोई संतान का गर्भ भी नहीं है, इसलिये वह उसे रखना नहीं चाहते है और घर से निकाल दिया और उसे उसके पिता के घर छोड़कर चले गये, उसके बाद उसके पिता द्वारा उसके ससुराल वालों को समझौते के लिये बुलवाया था तब भी उसके ससुराल वाले न तो समझौते के लिये आये व न ही उसकी कोई खैर खबर ली है। फरियादिया रोशन की रिपोर्ट के आधार पर थाना अंजड़ में अपराध क्रमांक 187/15 भा.द.वि. की धारा—498—ए/34 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 का दर्ज कर सम्पूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग—पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 4. अभियोग—पत्र के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्व भा.द.वि. धारा 498—ए/34 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्तों को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तों ने अपराध अस्वीकार किया है, धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्तगण ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है।

5. प्रकरण में निम्न प्रश्न विचारणीय है कि –

क्र.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या अभियुक्तों ने दिनांक 15.05.2015 से 15.06.2015 के दौरान ग्राम मण्ड़वाड़ा अपने मकान में श्रीमती रोशन बी के पित एवं पित के नातेदार होते हुए फिरयादिया रोशन बी को दहेज की मांग के रूप में मोटरसायकल एवं 25,000 / — रूपये नकद की मांग की, जो नहीं देने पर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरता कारित की ?
2	क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया रोशन बी से दहेज के रूप में मोटरसाईकिल एवं 25,000 / — रूपये की अवैध रूप से मांग की?
3	निष्कर्ष एवं दण्डादेश ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में फरियादिया रोशन बी (अ.सा.1) एवं साक्षी स.उ.नि. श्यामलाल यादव (अ.सा.2) के कथन कराये गये हैं, जबिक अभियुक्तों की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार

विचारणीय प्रश्न कमांक 1,2,3 का निराकरण :-

- उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से केवल दो साक्षियों का परीक्षण कराया गया है। साक्षी फरियादिया रोशन (अ.सा.1) का केवल इतना कथन है कि आरोपीगण से एक बार उसका विवाद हुआ था, तो वह नाराज होकर उसके माता-पिता के घर चली गई और उसने अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना अंजड में रिपोर्ट लिखने के लिये उसके पिताजी को कहा था जो प्रदर्श पी 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा उसकी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने प्रदर्श पी 2 का अपराध दर्ज किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 3 के नक्शे मौके पर उसके हस्ताक्षर है, उसके विवाह की पत्रिका उससे प्रदर्श पी 4 के अनुसार जप्त की थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है, शादी की पत्रिका प्रदर्श पी 5 की है तथा सामान की सूची प्रदर्श पी 6 के अनुसार उससे जप्त की थी। इस साक्षी को न्यायालय द्वारा सुचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट में एवं प्रदर्श पी 7 के कथन में अभियुक्तों द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताडित करने की बात नहीं बताई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि अभियुक्तों के द्वारा उससे मोटरसाईकिल, फ्रिज, रंगीन टीवी, और नगद रूपये 25,000 / - की मांग करते थे। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसका अभियुक्तों से राजीनामा हो गया है, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया है कि राजीनामा होने के कारण वह अभियुक्तों के पक्ष में कथन कर रही है।
- 8— श्यामलाल यादव (अ.सा.2) का कथन है कि दिनांक 26.08.2015 को फरियादी रोशन बी ने थाने पर आकर प्रदर्श पी 1 का आवेदन पेश किया था जिसके आधार पर उसने जॉच उपरांत अभियुक्तों के विरुद्ध प्रदर्श पी 2 का अपराध दर्ज किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने रिपोर्ट फरियादी को पढ़कर नहीं सुनाई थी अथवा असत्य रिपोर्ट दर्ज की है।
- 9— राजीनामा होने के कारण किसी अन्य साक्षी का परीक्षण अभियोजन की ओर से नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में जबिक प्रकरण की फरियादी स्वयं पक्ष विरोधी रही है और उसने अभियुक्तों के विरूद्ध कोई भी कथन नहीं किये है तथा उनसे राजीनामा होना स्वीकार किया है तो फरियादी स्वयं के कथनों के आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध आरोपित अपराध या अन्य कोई अपराध प्रमाणित

नहीं होता है और उन्हें उक्त अपराधों के लिये दोसषिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है और उनके विरूद्ध कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किये जा सकते है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तों के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा ४९८-ए/ ३४ एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है। अतः जावेद पिता सिराजुद्दीन खान, निवासी मण्डवाड़ा, सिराजुद्दीन, पिता बाबू खान, निवासी मण्डवाड़ा, राहनाज पति सिराजुद्दीन खान, निवासी मण्डवाड़ा, बाबू पिता छीतू खान, निवासी छोटी कसरावद जिला खरगोन को भा.द.वि. की धारा 498-ए/ 34 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत अपराध के अपराध से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

अभियुक्तों के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं । 10-

अभियुक्तगण के द.प्र.सं. की धारा-428 के अंतर्गत निरोध की अवधि के प्रमाण-पत्र बनाये जाए ।

प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति शादी की पत्रिका एवं दहेज की सूची फरियादी को वापस किया जाए। अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया । मेरे उद्बोधन पर टंकित ।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़ जिला-बड़वानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजड़, जिला-बड़वानी, म.प्र.